<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज टनकपुर, चम्पावत।</u>
फौ0वा0सं0–457/2022
उत्तराखण्ड राज्य बनाम राकेश कश्यप उर्फ जेलर

धारा– उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910
(यथासंशोधित उत्तराखण्ड) की धारा–60
थाना–बनबसा
जिला–चम्पावत।

<u>दिनांक–28.10.2022</u>

अभियुक्त राकेश कश्यप उर्फ जेलर द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त को उसके जुर्म स्वीकारोक्ति के परिणाम से अवगत कराया गया, फिर भी उसके द्वारा स्वेच्छा से बिना प्रलोभन के अपने जुर्म को स्वीकार करने की याचना की गयी। अतः अभियुक्त का बयान जुर्म इकबाल अंकित किया गया, जिसमें उसके द्वारा अपने जुर्म को स्वीकार किया गया। अतः जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को अंतर्गत धारा–उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 (यथासंशोधित उत्तराखण्ड) की धारा–60 के जुर्म के लिए दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त को सजा के प्रश्न पर सुना जायेगा।

(रजनीश मोहन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज,
टनकपुर, चम्पावत।

अभियुक्त को सजा के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त द्वारा कथन किया है कि वह बहुत गरीब है तथा उसके द्वारा कम–से–कम अवधि के दण्ड की याचना की गयी। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास की सजा एवं मु0 5,000/–(पांच हजार रुपए) के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त राकेश कश्यप उर्फ जेलर को उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 (यथासंशोधित उत्तराखण्ड) की धारा–60 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास एवं मु0 5,000/–(पांच हजार रुपए) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड जमा न करने पर अभियुक्त 10 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतेगा। माल मुकदमाती नियमानुसार नष्ट किया जाए।

पत्रावली आवश्यक कार्यवाही उपरांत नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाए।

(रजनीश मोहन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज,
टनकपुर, चम्पावत।